

कार्यालय वन वृत्त, सिवनी. (म.प्र.)

e-mail: ccf.sni@mp.gov.in (07692) - 220594, Fax - 225554

पत्र क्रमांक/मा.चि./698

सिवनी, दिनांक 18/5/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

मोपाल, मध्यप्रदेश

विषय :- सिवनी जिले में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.1187 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित, जबलपुर को उपयोग पर देने विषयक ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/ mp/ water/ 121759/2021

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी वनमंडल का पत्र क्रमांक/मा.चि./409 दिनांक 18/05/2022.

—00—

निवेदन है कि विषयांतर्गत महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्या., परि, किया, इकाई, जबलपुर द्वारा वन मंडल उत्तर सिवनी के अंतर्गत पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.1187 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव में भाग-III में अनुशंसा/पूर्ति एवं ऑन लाईन पृविष्टि की जाकर हार्ड कापी 03 प्रति में संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

(एस.एस. उद्दे)

मुख्य वन संरक्षक

सिवनी वृत्त सिवनी (म.प्र.)

सिवनी, दिनांक 20/5/2022

पृ. क्रमांक/मा.चि./699

प्रतिलिपि :- वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी वनमंडल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

सिवनी वृत्त सिवनी (म.प्र.)

भाग-III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रश्नों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं किया गया है।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वनमंडल अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदित महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्या, परि, किया, इकाई, जबलपुर को पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.1187 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :-

स्थान :- सिवनी

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
सिवनी वृत्त सिवनी (म.प्र.)